न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०),एक्ट सन्त कबीर नगर।

(UPSK010026282026)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–219/2026

सोभा देवी–––बनाम ––– बाबूराम यादव आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर

दिनांक–23.07.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2- प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की चमार अशिक्षित महिला है। प्रार्थिनी के ससुर वंशू थे, जिनके नाम गांव में गाटा सं०-548 रकबा 0.0400 हे० के मालिक व काबिज ताउम्र थे। इस रकबे के किसी भी अंश का बैनामा, वसीयत हिब्बानामा, विक्रय एग्रीमेट आदि कभी भी प्रार्थिनी के ससुर किसी के नाम से अपने जीवनकाल में नही किये थे। प्रार्थिनी के गांव के बाबूराम यादव पुत्र रामबक्स जालसाज किस्म के व्यक्ति है प्रार्थिनी के ससुर सीधे साधे व्यक्ति थे। प्रार्थिनी के ससुर को धोखा देकर साजिशन उक्त आराजी नम्बर को हड़पने की गरज से एक स्टाम्प पेपर पर धोखा से ससुर का फर्जी अंगूठा लगाकर एक जाली व फर्जी 5,500/- रू० का विक्रीनामा एंग्रीमेंट तैयार किया जबकि प्रार्थिनी के ससुर विपक्षी के नाम से कोई भी बिक्रीनामा एंग्रीमेंट नही बनाया था। प्रार्थिनी के ससुर की मृत्यु के बाद आराजी नम्बर 548 रकबा 0.0400 हे० जरिये वरासत प्रार्थिनी के पति उमेश के नाम रकबा दर्ज कागजात हुआ है। प्रार्थिनी के ससुर मृत्यु तक उक्त गाटा संख्या पर प्रार्थिनी व परिवार फसल बोता व काटता था। प्रार्थिनी के ससुर की मृत्यु दिनांक -12.02.2015 में होने के बाद विपक्षी उक्त आराजी नम्बर पर प्रार्थिनी को खेत की जोताई-बोआई करने से मना किया जाने लगा। प्रार्थिनी जब भी संबंधित अधिकारी को विपक्षी के खिलाफ शिकायत करती है तो विपक्षी उक्त जाली व फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर अधिकारियो को गुमराह कर दिया जाता है। दिनांक 10.06.2026 को गाटा सं०- 548 में धान की जरई डाल रही थी कि इसी बीच बाबू राम यादव पुत्र रामबक्स आये तथा चमाइन मादरचोद की भद्दी भद्दी गालियो की बौछार करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तथा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिये। मुल्जिमान के उक्त कृत्य से प्रार्थिनी पब्लिक प्लेस में अपमानित महसूस की। प्रार्थिनी घटना की शिकायत घटना वाले दिन थाने पर जाकर की किन्तु थाने की पुलिस विपक्षी के अवैधानिक प्रभाव मे रहकर प्रार्थिनी को आजकल आजकल कहकर दौड़ाते रहे, विपक्षी पर कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई। तब प्रार्थिनी क्षुब्ध होकर दिनांक 17-06-2026 को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती प्रार्थना पत्र भेजी किन्तु

अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह याचना की गई है कि थानाध्यक्ष धनघटा को आदेशित किया जाय कि वह मुल्जिमानों के विरुध मुकदमा पंजीकृत कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही करें।

3– प्रार्थिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, उद्धरण खतौनी की छायाप्रति, बैनामे की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना धनघटा से आख्या आहूत की गई। थाना धनघटा की आख्या अनुसार आवेदिका के प्रार्थना पत्र मे अंकित घटना दिनांक 10.06.26 के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी पर दिनांक 10.06.2026 को, जब वह धान की जरई डाल रही थी, विपक्षी के आने, उसे जातिसूचक भद्दी भद्दी गालियां देने व जान से मारने की धमकी देते हुये धक्का देकर जमीन पर गिरा देने का कथन किया गया है। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे किसी साक्ष्य संकलन हेतु विवेचना की कोई आवश्यकता हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपील संख्या–781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

6– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–223 BNSS दिनांक–18.08.2026 को पेश हो।

23.07.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.07.23 16:40:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court